

कार्यालय आख्या नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, संत कबीर नगर।

निलामी सूचना

दिनांक-04.08.2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **शेष वित्तीय वर्ष 2026-2027 (माह सितम्बर 2026 से मार्च 2027) के लिये माननीय जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन न्यायालय परिसर संत कबीर नगर में स्थित वाहन स्टैंड की निलामी** माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित निलामी समिति की उपस्थिति में **दिनांक 18.08.2026 को सायं 04:30 बजे** न्यायालय भवन के भूतल में स्थित सभागार में सम्पन्न की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति कार्यालय अवधि में केन्द्रीय नजारत से वाहन स्टैंड की निलामी की शर्तें प्राप्त कर सकते हैं।

यह ठेका वित्तीय वर्ष 2026-2027 के शेष अवधि माह सितम्बर 2026 से मार्च 2027 तक के लिये वैध होगा।

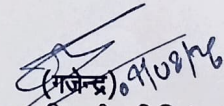
निलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को **निर्धारित धरोहर राशि (रुपये 28,000/-) के साथ अपना आवेदन पत्र तथा आधार कार्ड, पहचान-पत्र व निवास प्रमाण-पत्र** जनपद न्यायालय संत कबीर नगर के नजारत अनुभाग में उपस्थित होकर **दिनांक 14.08.2026 को सायं 04:30 बजे तक** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

न्यायालय परिसर संत कबीर नगर में पूर्व में आवंटित हुये ठेको से संबंधित किसी भी ठेकेदार द्वारा यदि कोई भी धनराशि किसी भी समय बकाया है, तो उसको या उसके परिवार के सदस्यों या प्रतिनिधि को निलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार का वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर लेता है, तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त वाहन स्टैंड की पुनः बोली करायी जायेगी।

निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम बोली की धनराशि 2,80,000/से प्रारम्भ की जायेगी। निर्धारित धरोहर धनराशि (रुपये 28,000/-) जमानत के रूप में जमा करना होगा। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोलने का अधिकार होगा।

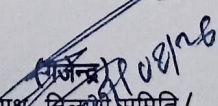
उपरोक्त से संबंधित जमा की जाने वाली **धनराशि नगद जमा की जायेगी**, किसी भी प्रकार का **चेक/ड्राफ्ट/बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा।**

उपरोक्त निलामी की तिथि में किसी प्रकार का परिवर्तन व धरोहर राशि में वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृति/अस्वीकृति एवं किसी प्रकार के विवाद के लिये अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।


अध्यक्ष, निलामी समिति/
अपर जिला जज-प्रथम
संत कबीर नगर।

प्रतिलिपि निम्न को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु-

- 1- नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर।
- 2- नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
- 3- नोटिस बोर्ड तहसीलदार, संत कबीर नगर।
- 4- नोटिस बोर्ड नगर पालिका परिसर, खलीलाबाद, संत कबीर नगर।
- 5- नोटिस बोर्ड जनपद बार/सिविल बार एसोसिएशन, संत कबीर नगर।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, संत कबीर नगर वास्ते कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 7- कम्प्यूटर अनुभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अध्यक्ष, निलामी समिति/
अपर जिला जज-प्रथम
संत कबीर नगर।